

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल आरक्षित भूमि~~ - 1.365 है०।

अनुमानित लागत	:	रु० 413.84 लाख
जनपद	:	चमोली
विकासखण्ड	:	थराली
वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय	:	थराली
कम्पार्टमेन्ट नं०	:	

प्रयोक्ता एजेन्सी

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कर्णप्रयाग

आवश्यक प्रपत्रों की सामान्य सूची सारणी-12

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिनके द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण-पत्र	1	प्रस्तावक	प्रस्तावक
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1	2	प्रस्तावक	प्रस्तावक
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2	3	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3	4	वन संरक्षक	वन संरक्षक
6.	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	5	प्रस्तावक	—
7.	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	6	उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति	समिति के सदस्य
8.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	7	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
9.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	8	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
10.	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	9	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ० / जिलाधिकारी
	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण	10	प्रस्तावक	प्रस्तावक /

11.	दर्शाया गया हो।			डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
12.	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	11	प्रस्तावक	प्रस्तावक
13.	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	12	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
14.	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	13	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
15.	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	14	प्रस्तावक / जिलाधिकारी	प्रस्तावक / जिलाधिकारी / डी0एफ0ओ0
16.	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	15	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0 / जिलाधिकारी
17.	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	16	प्रस्तावक	प्रस्तावक
18.	बार चार्ट।	17	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
19.	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
20.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	19	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
21.	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	20	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
22.	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	21	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
23.	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	22	वन संरक्षक	वन संरक्षक
24.	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	23	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
25.	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	24	डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
26.	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	25	डी0एफ0ओ0	डी0एफ0ओ0
27.	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	26	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
28.	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	27	प्रस्तावक	-
29.	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	28	प्रस्तावक	प्रस्तावक
30.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विश्लेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विश्लेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	29	प्रस्तावक	प्रस्तावक
31.	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	30	जिलाधिकारी / प्रस्तावक	जिलाधिकारी / उप खण्डीय समिति / ग्राम स्तरीय समिति
32.	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	31	प्रस्तावक	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0

33.	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान	32	प्रस्तावक	प्रस्तावक
34.	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	33	भू-वैज्ञानिक	भू-वैज्ञानिक
35.	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	34	प्रस्तावक	प्रस्तावक
36.	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्क फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	35	प्रस्तावक	प्रस्तावक
37.	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	36	प्रस्तावक	प्रस्तावक
38.	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	37	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक	जिलाधिकारी/ प्रस्तावक
39.	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	38	प्रस्तावक	प्रस्तावक
40.	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	प्रस्तावक	प्रस्तावक
43.	लामान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	40	प्रस्तावक	प्रस्तावक
44.	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेंट का प्रमाण-पत्र।	41	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
45.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दसवर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1.00 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू होगा)	42	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
46.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	43	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
47.	1:50,000 पैमाने का टोपोग्रीफ का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	44.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
48.	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	45.	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०	प्रस्तावक / डी०एफ०ओ०
49.	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/ दस मुना/बैनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	46.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
50.	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	47.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
51.	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	48.	प्रस्तावक/भूस्वामी	भूस्वामी/जिलाधिकारी
52.	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	49.	प्रस्तावक/डी० एफ०ओ०	प्रस्तावक/डी० एफ०ओ०
53.	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	50.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
54.	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	51.	प्रस्तावक	प्रस्तावक
55.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	52.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०
56.	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	53.	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
57.	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	54.	डी०एफ०ओ०	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक
58.	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	55.	डी०एफ०ओ०/ उच्चस्तरीय समिति	डी०एफ०ओ०/ प्रस्तावक

स्वीकृति। (यदि लागू हो)				
60	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	57	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0	प्रस्तावक / डी0एफ0ओ0
	प्रस्ताव को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना व उक्त प्रस्ताव की दो सी0डी0 पी0डी0एफ0 फारमेट में उपलब्ध कराना।		प्रस्तावक	—

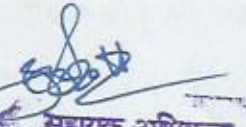
नोट :-उक्त समेकित चैक लिस्ट में समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्रों का विवरण उल्लिखित है। प्रयोक्ता एजेन्सीज द्वारा प्रत्येक प्रयोजन हेतु इंगित प्रपत्रों को ही प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

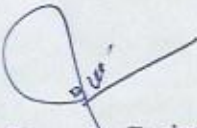
3.7 पेयजल/सिंचाई परियोजनाओं हेतु संलग्न किये जाने वाले अतिमहत्वपूर्ण कार्य का विवरण

सारणी-17

क्र०सं०	प्रपत्र का विषय	प्रपत्र संख्या	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा सूचना/प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना है।	विभाग/अधिकारी जिसके द्वारा प्रस्तावक विभाग है।
1.	पाईप लाईन का व्यास	1	प्रस्तावक विभाग	प्रस्तावक विभाग
1	20mmφ—80mmφ			
1	100mm φ			

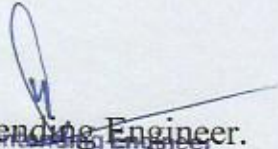

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
(Karanprayag (Chamoli))
Karanprayag (Chamoli)
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

TO WHOM IT MAY CONCERNED TO

It is state that Mr. Madan Puri, Executive Engineer, Construction Division Uttarakhand Peyjal Nigam, Karanprayag is being authorized to make online submission of forest clearance proposal for the project as mentioned above on behalf of Uttarakhand Peyjal Nigam, Karanprayag user agent.


Superintending Engineer.
Construction Circle.
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar (Chamoli).

फैक्ट सीट

1. प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे० में) — थराली नगर पंचायत पे० यो०

आरक्षित वन भूमि
 वन पंचायत
 सिविल सोयम भूमि
 नाप भूमि
 मलवा निस्तारण हेतु नाप भूमि

— ०.८२५ हे०
 — ०.५५ हे०
 — — हे०
 — — हे०
 — १.३६५ हे०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम किन भाँ

— निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड
 पेयजल निगम, कर्णप्रयाग
3. वन प्रभाग का नाम

— प्रभागीय वनाधिकारी,
 केदारनाथ-वन प्रभाग
 धौलीगढ़
4. प्रस्ताव बाइंडिंग किया गया है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
10. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। — ☒ हाँ / ☐ नहीं

स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

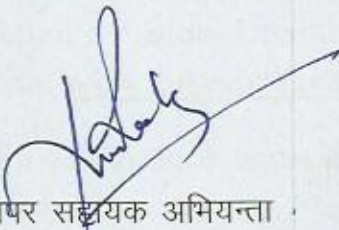
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) - ☒ हाँ / ☒ नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
22. यदि पे0यो0 का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है जो उस मार्ग को मानचित्र पद दर्शाया गया है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
25. पेयजल योजना के निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें /वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाये।) - ☒ हाँ / ☒ नहीं
27. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत (5 है0 से कम है) (5 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) - ☒ हाँ / ☒ नहीं
28. मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र संलग्न है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं

अथवा

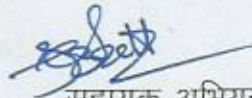
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न है यदि प्रमाणपत्रों संलग्न की गई तो संलग्नित है। - ☒ हाँ / ☒ नहीं

32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। - ☒ हॉ / ☐ नहीं
33. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। - ☒ हॉ / ☐ नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है। - ☒ हॉ / ☐ नहीं
35. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है। - ☒ हॉ / ☐ नहीं

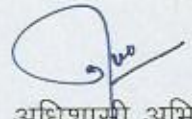
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव उक्त फॉर्म शीट लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।



अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
निगम,
कर्णप्रयाग।



सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
कर्णप्रयाग।



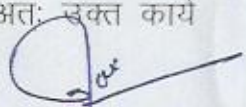
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल
कर्णप्रयाग।

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना अनुमानित लागत रू० 413.84 लाख का निर्माण बाह्य सहायतित कार्यक्रम (ई.ए.पी.) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु योजना के प्रथम चरण के लिए उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 823/उन्तीस(2)19-2(11-पे०)2019 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा भूमि प्रबन्धन/वनभूमि स्वीकृति हेतु रू० 13.55 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भूमि प्रबन्धन/वनभूमि की स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु केन्द्र सरकार से वित्त पोषण किया जाना है। थराली नगर पंचायत में वर्तमान में 40 एल.पी.सी.डी. की दर से पानी उपलब्ध हो रहा है। नगर क्षेत्र के मानक के आधार पर 135 एल.पी.सी.डी. की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की शासन की नीति है। योजना की डिजाईन अवधि आगामी 30 वर्ष अर्थात् वर्ष 2052 रखी गयी है, तथा उक्त डिजाईन वर्ष में 10965 की जनसंख्या लाभान्वित होगी एवं वर्तमान में नगर पंचायत थराली के 04 (चार) वार्ड की लगभग 7745 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के निर्माण से क्षेत्र की जनता को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस परियोजना हेतु 0.825 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.54 है० वन पंचायत भूमि 30 वर्षों हेतु लीज पर लिया जाना प्रस्तावित है, इस प्रस्तावित भूमि में वन सम्पदा को क्षति होने की सम्भावना नहीं है। अतः उक्त कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Paryatal Nigam
अधीक्षक पेयजल निगम
थराली (चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल प्रस्तावित भूमि~~- 1.365 है०।

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1-क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

2-कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

3- परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)

4-क्या

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ?

(हां/नहीं)

5- प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

6- निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण

पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karni Nagar (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रसाग (चमोली)

थराली नगर पंचायत पेयजल योजना की कुल लागत 413.84 लाख म.रु.
योजना भू-चित्र, वि.म.ल. लेण, देवराडा थराली गांव थराली बाजार
नाथिवाला एवं लुम्बा नगर पंचायत थराली को लागू किया जाएगा।
खेला नहीं है।

413.84 लाख
स्केल वन क्षेत्र में होने के कारण 413.84 लाख का अनुमान लगाया गया
है।

नगरवासियों को रोजगार मिलने की संभावना।

नगरवासियों के पेयजल उपलब्ध कराना।

X

नहीं।

नहीं।

खेला नहीं है।

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किलोप्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-3

भाग-2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

(i) वन का प्रकार

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा

19. भूस्तरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अल्पवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे)

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए कति नुकसान है

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

- (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्फलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

- (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।
 - (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।
 - (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।
 - (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।
 - (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिष्यय :
 - (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाघात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर
नाम

शासकीय मुद्रा

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल अर्जावित भूमि~~ — 1.365 है०।

प्रारूप-4

28. क्या स्थल, जहाँ अंतर्गलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण रिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाये।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर
नाम

शासकीय मुद्रा

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०)

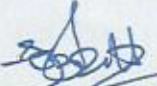
प्रारूप-5

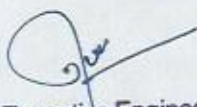
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय। — संलग्न


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कान्प्रयग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)
हो/प्रयोक्ता
एजेन्सी

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 28 जून, 2019

विषय :- राज्य सैक्टर (नगरीय) कार्यक्रम के अंतर्गत 32 नगरीय पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 579/नगर अनु0 वाह्य सहायतित/17 दिनांक 21 मई, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष, 2019-20 में 32 नगरों की पेयजल योजनाओं के प्रथम चरण के प्राक्कलन हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल लागत रु0 2699.30 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार योजनाओं हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि की स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु कुल रु0 1021.02 लाख (रु0 दस करोड़ इक्कीस लाख दो हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) उक्त योजना की धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 व वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों/आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iv) उक्त धनराशि को स्वीकृत एवं व्यय करते समय योजना के संबंध में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं मानकों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (v) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा। योजना हेतु अनुमोदित लागत से अधिक का आवंटन कदापि न किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय- 01- जलापूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम -03-नगरीय पेयजल-01-नगरीय पेयजल /जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण- 24 वृहत् निर्माण कार्य मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H 19060130034 दिनांक 26 जून, 2019 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वि० वि० के अ० शा० संख्या- 147 / XXVII (2) / 2019 दिनांक 26 जून, 2019 में उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : प्रमाणित

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

पृ० संख्या- /उन्तीस(2)/19-2(11 पे०)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
7. बजट निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
9. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून
दिनांक 02-7-19

- प्रतिलिपि 1. मुख्य अधिकारी (वृहत्) / (प्रशासन) - हस्ताक्षर / मंजूरी
2. प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन)
3. प्रशासनिक अधिकारी (वृहत्)
4. प्रशासनिक अधिकारी (वृहत्) / 10 अधिकारी (वृहत्)

राज्य सैक्टर (नगरीय) पी0-1 वर्ष 2019-20

धनराशि (रु0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी0ए0सी0 उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
1	अल्मोडा	भिकियारौन पम्पिंग पे0यो0	72.58	51.09
2	चम्पावत	लोहाघाट टाउन पम्पिंग पे0यो0	69.42	24.28
3	हरिद्वार	शिवालिक नगर पम्पिंग पे0यो0	122.98	5.46
4	हरिद्वार	भगवानपुर पम्पिंग पे0यो0	95.77	4.50
5	हरिद्वार	झबरेडा पम्पिंग पे0यो0	59.60	3.21
6	हरिद्वार	लक्सर पम्पिंग पे0यो0	66.95	3.47
7	हरिद्वार	पिरान कलियर पम्पिंग पे0यो0	65.09	3.40
8	हरिद्वार	लण्डोरा पम्पिंग पे0यो0	124.86	5.53
9	टिहरी गढ़वाल	कीर्तिनगर पम्पिंग पे0यो0	39.43	13.33
10	टिहरी गढ़वाल	चम्बक पम्पिंग पे0यो0	109.70	48.20
11	टिहरी गढ़वाल	लम्बगांव पम्पिंग पे0यो0	19.70	6.62
12	टिहरी गढ़वाल	नई टिहरी (पुर्न0) पम्पिंग पे0यो0	170.89	47.23
13	चमोली	नन्दप्रयाग पम्पिंग पे0यो0	28.96	14.61
14	चमोली	जोशीमठ पम्पिंग पे0यो0	25.29	11.48
15	चमोली	पीपलकोटी पम्पिंग पे0यो0	46.72	24.84
16	चमोली	गोपेश्वर पम्पिंग पे0यो0	40.25	22.32
17	चमोली	थराली नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	30.02 ✓	13.55
18	चमोली	गैरसैण पम्पिंग पे0यो0	66.85 ✓	17.03
19	रूद्रप्रयाग	अगरस्तमुनि पम्पिंग पे0यो0	43.54	9.60
20	रूद्रप्रयाग	तिलवाडा नगर पंचायत पम्पिंग पे0यो0	41.21	28.15

क्र० सं०	जनपद	योजना का नाम	प्रथम चरण के प्राक्कलन की टी०ए०सी० उपरान्त लागत	योजना हेतु निजी भूमि प्रबन्ध, वन भूमि स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु धनराशि की मांग
01	02	03	04	05
21	रुद्रप्रयाग	ऊखीमठ पम्पिंग पे०यो०	43.61	15.52
22	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग नगर पम्पिंग पे०यो०	42.54	7.69
23	उत्तरकाशी	चिंयालीसौड पम्पिंग पे०यो०	194.58	129.93
24	उत्तरकाशी	नौगांव पम्पिंग पे०यो०	53.98	23.76
25	उत्तरकाशी	पुरोला पम्पिंग पे०यो०	167.62	133.37
26	उत्तरकाशी	बडकोट पम्पिंग पे०यो०	172.22	140.07
27	नैनीताल	भीमताल पम्पिंग पे०यो०	106.47	62.79
28	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट पम्पिंग पे०यो०	73.65	18.66
29	पिथौरागढ़	बेरीनाग पम्पिंग पे०यो०	79.94	20.08
30	ऊधमसिंहनगर	जसपुर नगर जोन-2 पे०यो०	88.05	4.22
31	बागेश्वर	बागेश्वर पम्पिंग पे०यो०	225.00	29.35
32	नैनीताल	भवाली पम्पिंग पे०यो०	111.83	77.71
		महायोग	2699.30	1021.02


 (हैमनाथ सिंह चौहान)
 सहायक कमिश्नर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किल प्रस्ताविका

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 6/05/2019 को सरसंगेपुल सिंग (एजेन्सी का नाम) के द्वारा थराली तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री प्रकाश चन्द राजस्व विभाग की ओर से श्री राज कुमार सिन्हा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री प्रेम कुमार अपराध अन्य दावेदारों की ओर से श्री विनोद कुमार तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसने (मी०) नाप भूमि से, (मी०) सिविल भूमि

से (मी०) वन पंचायत वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में है० नाप भूमि है० है० सिविल भूमि 0.54 है० वन पंचायत भूमि है० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 1.365 है० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखन के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें

भूमि से (मी०) वन पंचायत से है० नाप भूमि है० है० सिविल भूमि है०

(मी०) नाप भूमि से, (मी०) सिविल (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल

है० सिविल भूमि 0.54 है० वन पंचायत भूमि है०

0.825 है० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष है० बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे। अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

होगी। है० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें

अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध

कक्षा से गुजरने/मे स्थित है। इन कक्षा की वर्तमान वन आच्छादन पर

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन है एवं इन कक्षा में प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि आच्छादन है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल से प्रारम्भ होता है तथा समरेखन का अन्तिम स्थल 38°41'46.54" 77°29'47.58" समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान

प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन का GPS मान 38°41'46.54" 77°29'47.58" है तथा यह स्थल है। चुने गये

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/ नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा / नहीं होगा।

इस संश्लेषण पर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जो मलबा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु पाथ लाइन की ईंधन के दवा
के लिए स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान है।
अन्य आवश्यक विवरण


हस्ताक्षर
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
प्रतिनिधि


हस्ताक्षर
(वन विभाग)
प्रतिनिधि

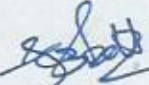
हस्ताक्षर
(राजरव विभाग)
प्रतिनिधि

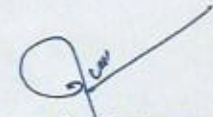
हस्ताक्षर
(अन्य दावेदार)
प्रतिनिधि

हस्ताक्षर
(जन प्रतिनिधि)
प्रतिनिधि

नोट- इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

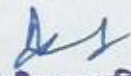

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
THARALI
DIST. CHAMOLI


तहसीलदार
थराली


उपनिर्देशिका
थराली


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-8

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या-8 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने की टोपोग्राफी पर परियोजना को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाना है, तथा आस-पास की विभिन्न प्रकार की भूमि को गिन्-2 निर्धारित रंगों से प्रदर्शित किया जाना है तथा इनका विवरण संकेत तालिका में भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। निर्धारित रंगों का विवरण निम्नानुसार है। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण के प्रकरणों में क्षेत्र में विद्यमान सड़कों का नेटवर्क तथा प्रस्तावित मार्ग जिस पूर्व निर्मित मार्ग से प्रारम्भ हो रहा है, को भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।)

1. आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से।
2. सिविल एवं सोयम भूमि को पीले रंग से।
3. वन पंचायत भूमि को नीले रंग से।
4. संरक्षित वन भूमि को भूरे रंग से।
5. नाप भूमि को अन्य किसी रंग से।

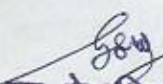
(इस मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)

(मानचित्र संलग्न है।)


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


प्रमुख अभियंता
निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कारनप्रयाग (चमोली)

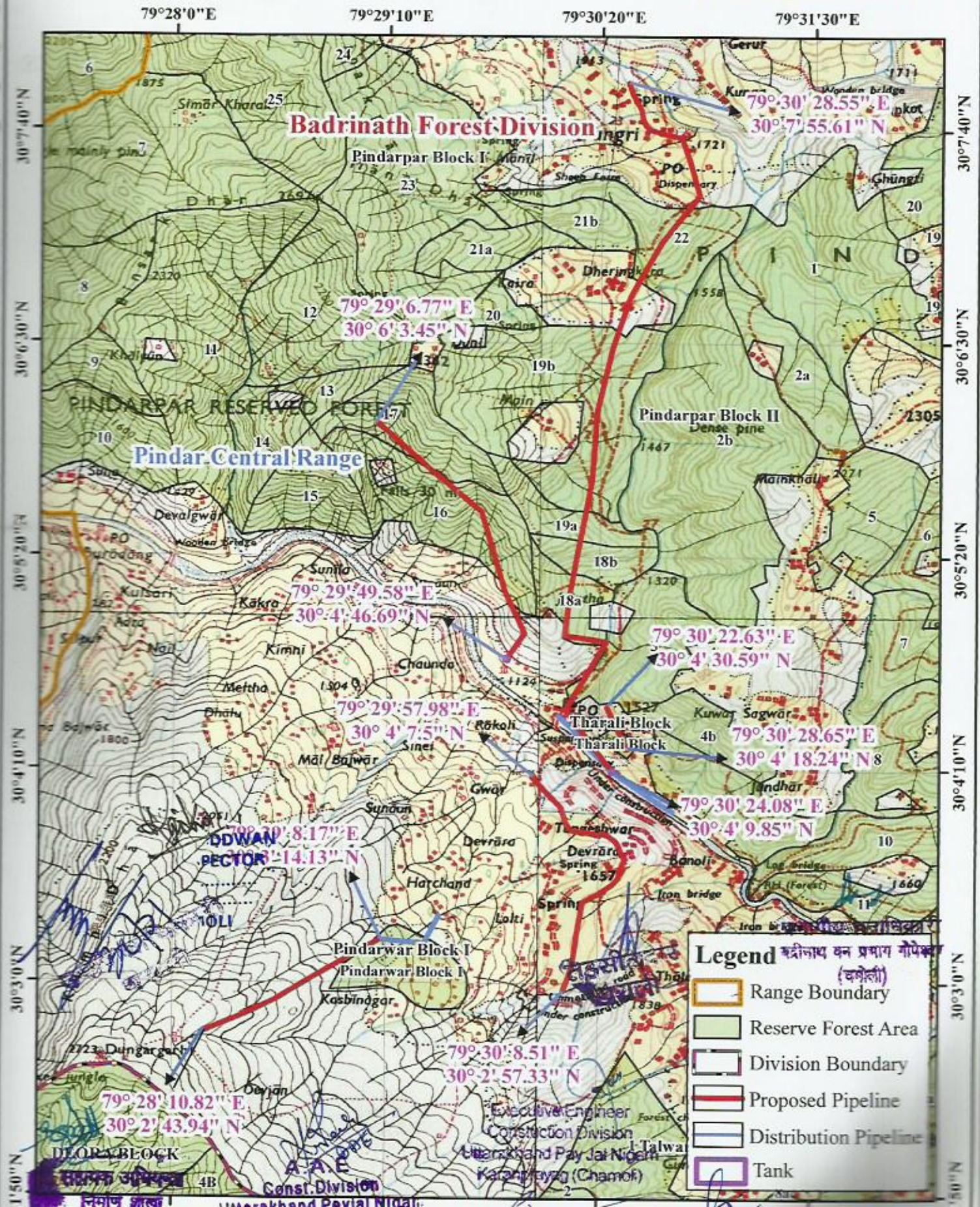

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

डिजिटल मैप:-जनपद चमोली में विकासखण्ड थराली के अंतर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य हेतु

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km
Scale-1:50,000

Toposheet No. 53N/08, 53N/12



परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-9

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पे० यो०

प्रपत्र संख्या-9 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ सर्वे आफ इण्डिया के 1:50,000 पैमाने के डिजिटल मानचित्र पर परियोजना को प्रदर्शित करते हुए जी०पी०एस० रीडिंग अंकित जानी है व प्रपत्र संख्या-8 की सूचनाएँ भी सम्मिलित की जानी हैं।

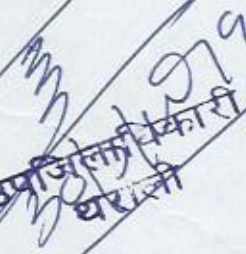
(इस डिजिटल मानचित्र में मानचित्र कर्ता सहित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

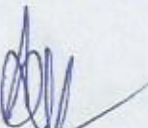

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constution Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


जिलाधिकारी
थराली


RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCEE. Pharak
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI


तहसील
थराली


प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-10

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पे० यो०

प्रपत्र संख्या-10 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण की जी०पी०एस० रीडिंग भी अंकित की जानी है।

प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर

प्रस्तावित परियोजना को प्रदर्शित

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा

हस्ताक्षर किये जाने हैं।)


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य बिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


जिलाधिकारी
थराली


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


AJ KUMAR SIDDWAN
SUB INSPECTOR
CHAMOLI
CHAMOLI


तहसीलदार
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। (कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०)

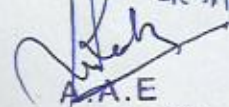
प्रारूप-11

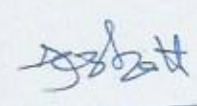
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

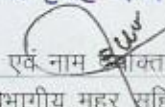
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

जनपद चमोली की प्रस्तावित थराली नगर पंचायत पेयजल योजना नगर पंचायत थराली हेतु प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत थराली विकासखण्ड के नगर पंचायत थराली के समस्त वार्ड को लाभान्वित किया जाना है। योजना की अनुमानित लागत रु० 413.84 लाख है। यह गुरुत्वीय योजना है तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त धन अवमुक्त किया जायेगा।

योजना के प्रारंभिक प्रावधान हेतु प्रचलन चलाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 823/उत्तर (2)/19-2 (11.90)/2019 के द्वारा 30.02 लाख के समेकित स्वीकृत हैं। प्रिलेक्ट सप्लाय शक्ति प्रबंधन एवं वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त कार्य के उपरान्त योजना के निर्माण हेतु EAP के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत प्रावधान के आधार पर पत्राचार किया जा रहा है।


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


Assistant Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag, Chamoli


हस्ताक्षर एवं नाम प्रयोक्ता एजेन्सी
विभागीय मुहर सहित

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

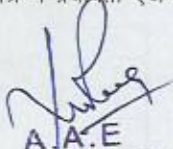
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-12

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रपत्र संख्या-14 हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ गूगल मानचित्र (.kml file में) पर प्रस्तावित कार्य का विवरण तथा वैकल्पिक संरेखण/स्थल को प्रदर्शित किया जाना है तथा प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण की जी०पी०एस० रीडिंग भी अंकित की जानी है।

(इस गूगल मानचित्र में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हैं।)


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)



79°31'0"E

39	79° 29' 50.06" E	30° 4' 46.54" N
40	79° 29' 48.8" E	30° 4' 46.17" N
41	79° 30' 24.42" E	30° 4' 10.07" N
42	79° 30' 24.08" E	30° 4' 8.97" N

-  GPS Coordinates
- Distribution Pipeline
-  Proposed Pipeline

20 RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE.....
DISTRICT - CHAMOLI

Uttarakhand Pay Jai Vigram

SOURCE

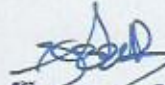
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कलियोजनांकित भूमि- 1.365 है०।

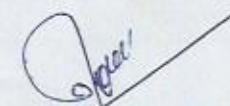
प्रारूप-13

Performa for comparison between identified alignments

Sl.No	Variables	Alignment No-1	Alignment No-2
1	Topography		
2	Length of Road		
3	Bridging requirement No. and Length		
4	Geometric		
	(a) Gradients		
	(b) Curves, H.P Bends		
5	Existing Means of communication, mule path, jeep, Tracks etc.		
6	Right of way, bringing out. construction on account of built up areas, monuments and other structures.		


A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

7	(a) Terrain & Soil Condition.		
	(vi) Cliffs and gorges. (vii) Drainage characteristics of the area including susceptibility to flooding. (viii) General elevation of the road indicating maximum and minimum height negotiated by main ascends and descends. (ix) Variations extants and types.		
8.	Climate Condition: (a) Temperature Monthly max. & min. reading. (b) Rainfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) . (c) Snowfall data average annual peak intensities monthly distribution (to the extent available) . (d) Wind direction and velocities. (e) Fog Condition. (f) Exposure to sun. (g) Unusual weather condition like cloud burst etc.		
9.	Facilities resources. (a) Landing ground. (b) Dropping Zone. (c) Food stuffs. (d) Labour local availability and need for import. (e) Construction material (Timber, Bamboo, Sand, Stone, Shingle etc. extent of their availability and lead involved.		
10.	Value of land, agricultural land, Irrigated land, bult up land, forest land etc.		
11.	Approximate Const. Cost.		
12.	Access point indicating possibility of induction of equipment.		
13.	Period required for construction.		
14.	Strategic Consideration.		
15.	Important villages, towns and markets centers to be connected.		
16.	Recreational potential.		
17.	Economic Factors: (a) Population served by the alignment.		

	(b) Agricultures and economic potential of the area.		
•	other major development projects being taken up electric projects etc.		
•	(i) Misc. Such as camping sites Law and other problem (iii) Royalty		
	(iv) Availability of contractors for collection and carriage of construction material (v) working period available for construction of work.		
20.	Total No. of trees to be removed .		
21.	Average Density of forest cover .		
22.	Total No. of Merits		
23.	Total No. of Demerits		

RECOMMENDATIONS:

Alignment no. () Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.

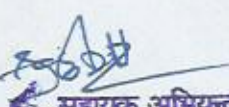
A. Assistant. Engineer/J.E.
P.WD./UA

Assistant Engineer
P.WD./UA

Executive Engineer
P.W.D./UA

Note - Signature and approval of the concerned DFO is essential.


Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

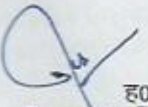
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

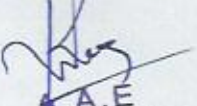
प्रारूप-14

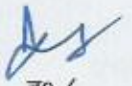
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

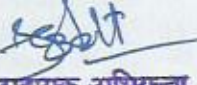
वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.365 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

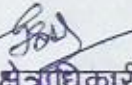

ह०/-
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigan.
Karanprayag (Chamoli)


ह०/
प्रमाणित वन अधिकारी
प्रमाणित वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


सहस्यक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कानप्रयाग (चमोली)


जिला अधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


उपजिलाधिकारी
चमोली

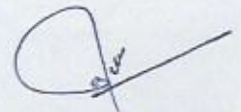

DAI KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE.....
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI


तहसीलदार
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

(कोई अन्य वैकल्पिक संरेखण न होने का प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना निर्माण हेतु सबसे नजदीकी एवं मितव्ययी संरेखण प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई मितव्ययी प्रस्ताव सम्भव नहीं है।



Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~उत्तराखण्ड~~ प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-14

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित भूमि पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है। आवेदित 1.365 है० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

ह०/-
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigan.
Karanprayag (Chamoli)

ह०/
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

जिला अधिकारी
चमोली
जिलाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

उपजिलाधिकारी
थराली

DAI KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE
TEH.
DISTRICT- CHAMOLI

तहसीलदार
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल-आरक्षित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-15

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

लैन्ड शेड्यूल (आरक्षित वन भूमि)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे०)
चमोली	बदीनाथ	पिण्डर पार्क	ब्लॉक 22			0.825 है०
		पिण्डर पार्क	16 ब्लॉक	13.75	0.60	1
		पिण्डर पार्क	3			0.825 है०

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कानप्रयाग (चमोली)

A.A.E
Const.Division
Uttarakhand Peyjal Nigan.
Karanprayag (Chamoli)

प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

उप-जिलाधिकारी
थराली

RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCE.....
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI

हस्ताक्षर
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०

प्रारूप-15.1

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

लैन्ड शेड्यूल

(सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिया जाना है।)

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं०	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे०)
सिविल एवं सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—
वन पंचायत	चमोली	थराली	थराली	पाइप लाइन	5550.00	0.60	0.54	0.54
योग वन भूमि	1			ट्रीप्लेन्ड जलशय	10x10	11.50	—	—
नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल योग								0.54 है०

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

जिला अधिकारी
जिला चमोली

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nig.
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

उपजिलाधिकारी
चमोली

तहसीलदार
थराली

RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE
TEH.

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०

प्रारूप-16

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (है० में)
1	आरक्षित वन भूमि	1375.50	0.60	0.825
2	सिविल सोयम भूमि	—	—	—
3	वन पंचायत भूमि	1681.8	11.50	0.207
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	5500.00	0.60	0.3330
	वन भूमि का योग			1.365 है०
5	नाप भूमि			—
	कुल योग-			—

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कानप्रयाग (चमोली)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Rev. Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

उपनिवेशाधिकारी
थराली

तहसीलदार
थराली

RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCE...
TEH...

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~किन प्रस्तावित भूमि~~ - 1.365 है०।

प्रारूप-17

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

बारचार्ट

कि०मी०

कि०मी०

खनन है।			

नोट :- (प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु)

1. जिस किमी० पर जो ग्राम पड़ता हो, उसके नाम का भी बारचार्ट में उल्लेख किया जाय।
2. यदि प्रस्तावित मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्मित किया जाना है तो पूर्व निर्मित मार्ग के नाम का बारचार्ट में उल्लेख करते हुये भारत सरकार की स्वीकृति का भी उल्लेख किया जाय एवं तदनुसार आगे निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के किमी० का क्रमशः उल्लेख करें।
3. यदि मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो पूर्व निर्मित मार्ग की चौड़ाई का उल्लेख करते हुये वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग के चौड़ाई का बारचार्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
4. मानचित्र में दर्शाये गये निध

संकेत तालिका

भूमि की श्रेणी	रंग	क्षेत्रफल (हे० में)
आरक्षित वन भूमि	हरा ✓	0.825
सिविल एवं सोयम भूमि	प्रीला .	—
वन पंचायत भूमि	हैनी / नीला	0.54
संरक्षित वन भूमि	भूरा	—
नाप भूमि	सफेद / अन्य रंग	—

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

प्रमाणिक वन क्षेत्र अधिकारी
वन क्षेत्र अधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र थराली

वन क्षेत्र अधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र थराली

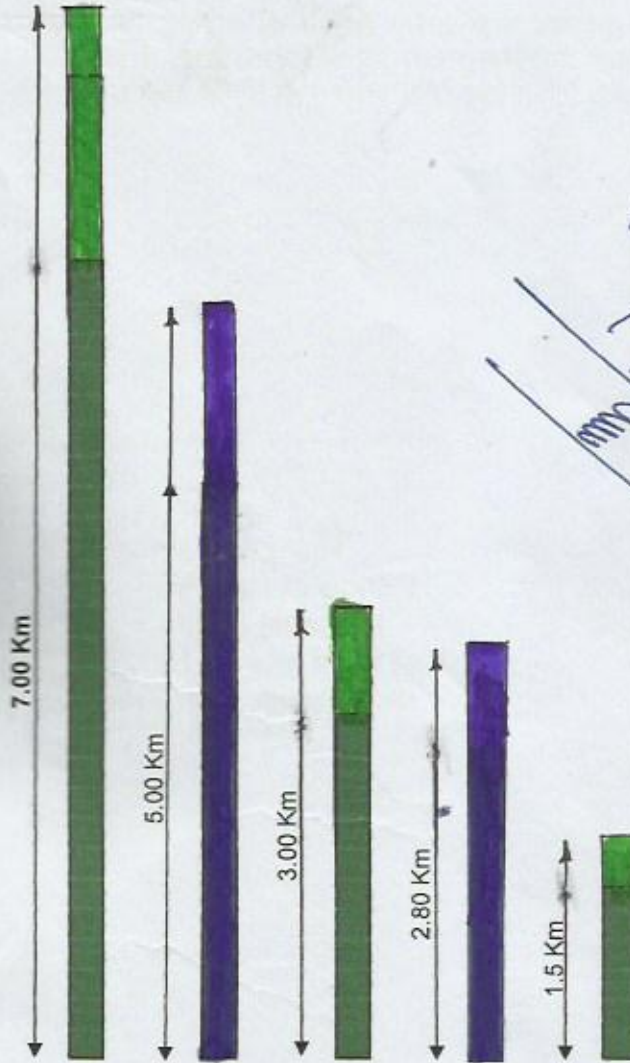
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

उपनिर्माणिकार
थराली
तहसीलदार
चमोली

RAJ KUMAR SINGH
SENIOR SUB INSPECTOR

BAR CHART OF THARALI NAGAR PANCHAYAT W/S SCHEME

Scale:- 1mm = 50 M



RAJ KUMAR SHODHAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE...
TEH...
DISTRICT- CHAMOLI

LEGENDS	
	Reserve Forest Land
	Van Panchayat Land

राजकुमार शोधन
रिवन्यू सब इंस्पेक्टर
चक्र...
तहसील...
जिला...
उत्तरांचल प्रदेश

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बर्दीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Const. Division
Uttarakhand Panchayat Nig.
Karanprayag (Chamoli)

प्रशासकीय वन क्षेत्राधिकारी
उत्तरांचल वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

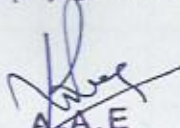
प्रारूप-18

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

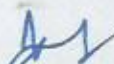
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

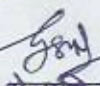
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


प्रभागीय क्वाथिकरी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।
प्रारूप-19

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु दिनांकको किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

परियोजना के अंतर्गत जिला अधिका के क्षेत्रों का पातन की जायेगा।

क्रसं	भूमि की श्रेणी	वनब्लॉक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग						90 से अधिक	योग
					20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80		
1.	आरक्षित वन भूमि											
2.	सिविल सोयम											
3.	वन पंचायत											
4.	संरक्षित वन											
	योग :-											
5.	नाप भूमि											
	कुल योग :-											

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह०/-

राजि अधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वन प्रमाणन अधिकारी
प्रभागीय वन प्रमाणन अधिकारी

ह०/-

राजस्व विभाग
RAJ KUMAR SHODHAN

ह०/-

जिलाधिकारी

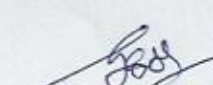
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

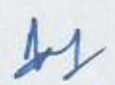
जिला प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।
प्रारूप-20

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन।
आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि

क्र०सं०	वृक्ष प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	दर	कुल मूल्य
		20-30			
		30-40			
		40-50			
		50-60			
		60-70			
		70-80			
		80-90			
		कुल योग			


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन क्षेत्र, थराली
(चमोली)

नोट- आरक्षित वन भूमि / सिविल सोयम भूमि / वन पंचायत भूमि / संरक्षित वन भूमि / नाप भूमि के लिये उपरोक्त मूल्यांकन अलग अलग करना होगा।

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-20.1

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

क्र०सं०	भूमि का प्रकार									योग
		20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि									
2	सिविल सोयम									
3	संरक्षित वन									
4	वन पंचायत									
5	वन भूमि का योग									
6	नाप भूमि									
	कुल योग									

ह० / -
वसुधैव कुटुम्बकम्
 मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
 बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ह० / -
प्रभागीय वन अधिकारी
 बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 (चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०
प्रारूप-21

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि			
2.	सिविल सोयम			
3.	वन पंचायत			
4.	संरक्षित वन			
	योग :- वन भूमि			
5.	नाप भूमि			
	कुल योग :-			

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल वृक्षों का घातन किया जाना अपरिहार्य है।

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कान्प्रयाग (चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य बिन्दु वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ह०/-
प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-22

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

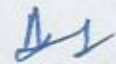
वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्माण दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के से बाँज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्रस	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम									योग
					20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1.	आरक्षित वन भूमि		बाँज										
2.	सिविल सोयम		बाँज										
3.	वन पंचायत		बाँज										
4.	संरक्षित वन		बाँज										
	योग :- वन भूमि												
5.	नाप भूमि		बाँज										
	कुल योग :-												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये बाँज वृक्षों का पातन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(घमोली)

ह०/-
वन संरक्षक,

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

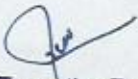
कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०

प्रारूप-23

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

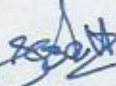
प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य बिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कानप्रयाग (चमोली)


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०

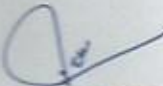
प्रारूप-24

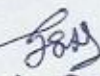
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र

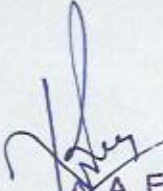
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

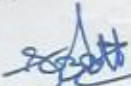
गारंटी है।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


ह०/-
प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कानप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

(कुल आरक्षित भूमि 1.365 है०)

प्रारूप-26

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा में लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना होगा।

लागू नहीं है

ह०/-
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
(देहरी)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।
प्रारूप-27

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(नोट:-लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

लागू है

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रभावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-28

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय।



ह०/-

वार्ड मेम्बर/सरपंच
मुहर सहित



परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-29

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(5.00 हे० से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Block:-

District:-

S.No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred),		
(A)	Construction cost of the project		
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @--- lakh/Ha		
(C)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-		
(D)	Other cost if any		
	Grand Total		
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits		
	a.		
	b.		
	c.		
	Total direct benefits		
2.2	ii. Social Benefits		
	a.		
	b.		
	c.		
	Total Social benefits		
2.3	iii. Economic Benefits		
	a.		
	b.		
	c.		
	Total Ecological benefits		
2.4	iv. Other Benefits (if any)		
	a.		
	b.		
	Total benefits		
	Grand Total Benefits		

लागू नहीं

A.A.E.
Const. Division
Akhand Peyal Nigam
Prayag (Chamoli)

Executive Engineer
Construction Division

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा

प्रभागीय कर्मचारी

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०

प्रारूप-29.1

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Name of Project:- Tharali Nagar Panchayat W/s Scheme Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters	Details
1	2	3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived there livelihood and wage from the harvest of these commodities	
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	
3	Cost of human resettlement	
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	
6	Suffering to oustees	

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Nigam
Karanprayag (Chamoli)

Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

ह०/-
प्रमाणित वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रमाण गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रमाण गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०

प्रारूप-29.2

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Name of Project:-Tharali Nagar Panchayat W/s Scheme Nature of Proposal :

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	
2	Benefits to economy	
3	No. of population benefited.	
4	Employment potential.	
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayati Raj Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigan
Karanprayag (Chamoli)

ह०/-
प्रमाणित वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
किल म स्तुति धर्म - 1365 E01

प्रारूप-30

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-*Chamoli*

No---

Dated---*31-8-2019*

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that *1.365* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *UKPN* (name of user agency) for *water supply* (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of..... village (s) in..... tehsils.
Tharali Nagar Panchayat Tharali

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire *1.365* hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure *a.1* to ...annexure *b.3*.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section *1* *3(2)* of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

[Signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
चमोली

[Signature]
जिला अधिकारी
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल आरक्षित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-30.1

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Swati S. Bhadoriya (I.A.S) deputy commissioner, Chamoli on dated 31-8-2019 at time 15.00 hrs in which application claiming rights in Tharali area measuring 1.365 hect for the construction of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Deopatal

Dated: 31-8-2019

[Signature]
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
बडीनाथ वन प्रभाग मोरेश्वर
(चमोली)

[Signature]
विभागाधीनारी
Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee

It is further certified that Minutes of Meeting of Construction of Tharali Nagar Panchayat Water Supply Scheme regarding FRA is as following:

Sl. No.		Remark
(a)	The Complete process of identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 1.365 hectares of forest area civil, Soyam & reserve forest land proposed for Diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committer (s), Sub division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages regarding construction of Water Supply Scheme is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

सदस्य
पंचायत थराली चर्ड एवं
जिला नियोजन समिति
जिला - चमोली
जिला पंचायत सदस्य

RAJ KUMAR SHODWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCE
TEH
DISTRICT - CHAMOLI

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pradesh Nigam
Karnanoreyag (Chamoli)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
कर्मप्रयाग (चमोली)

Const. Division
Uttarakhand Peyjal Niga

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाम नोपेख
(चमोली)

उपनिवेश अधिकारी
थराली

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा

वन क्षेत्राधिकारी

नेहरोशेदार
चमोली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.825 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.54 है० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.365 है० वन भूमि का उपखण्ड विकास प्रयोजित एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक 03/08/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री के.एस.मेरी उपजिलाधिकारी थराली अध्यक्ष
- 2- श्री सुरेश कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी थराली सदस्य
- 3- श्री विपिन कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी थराली सदस्य/सचिव
- 4- श्री मन्ना देवी सहायक समाज कल्याण अधिकारी थराली सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत किया गया कि

परियोजना हेतु 0.825 है० वन भूमि प्रयोजित एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 1.365 है० वन भूमि उपखण्ड विकास प्रयोजित एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

राधा
उप जिलाधिकारी

तहसीलदार
थराली

प्रतिष्ठित जिलाधिकारी चमोली

को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वन प्रभागीय अधिकारी

तहसील थराली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-
जनपद-

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम

तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत परियोजना के निर्माण हेतु (0.825 है० आरक्षित वन भूमि, 0.54 है० सिविल सोयम भूमि 0.54 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है०) अर्थात् कुल 1.365 है० वन भूमि का पेयजल विभाग/सरस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुंगी द्वारा दिनांक..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत बर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

डुंगी बर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुंगी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.825 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम सचिव

मुहर सहित



ह०/-
वार्ड मेम्बर /सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

कुल प्रस्तावित भूमि — 1.365 है०।

प्रारूप-30.4

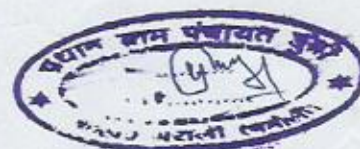
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

दिनांकको ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थराली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	श्री ७७७/ ५००/ ७७७/ ७७७	कृष्णपाल सिंह गुसाई सभासद थराली गाँव, वार्ड-४, नगर पंचायत, थराली (चमोली)
②	हरीश चंद सुभाष चंद न० ७७	—
③	वसन्ती शर्मा वार्ड न० १ में	—
④	सीमा देवी वार्ड न० २ देवराड़ा	सीमा देवी

अध्यक्ष
नगर पंचायत थराली
लिपि



ह०/-
ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल प्रस्तावित २ कि० 1.365 है०।

प्रारूप-31

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

मदवार विवरण

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार/भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क्र.सं.	घटक / कम्पोनेंट (Component)	आरक्षित वन भूमि (हे० में)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे० में)	वन पंचायत भूमि (हे० में)	संरक्षित वन (हे० में)	कुल वन भूमि (हे० में)	नाप भूमि (हे० में)	कुल योग (हे० में)
योग:-								

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand
Karauli
प्रयोजन एजेंसी
A.A.E
Const. Division

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर
(चमोली)
प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
किल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०

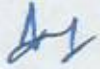
प्रारूप-32

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

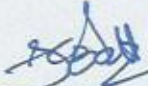
भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले-आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा।

लागू नहीं है।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Panchayat Nigam
Karanprayag (Chamoli)


ह०-
प्रमाणिक वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

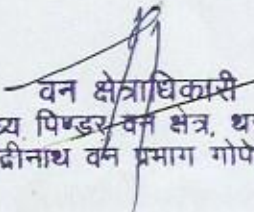
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०

प्रारूप-33

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

भू-वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू-वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

ह०/-
(भू-वैज्ञानिक
नाम व मुहर सहित)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।

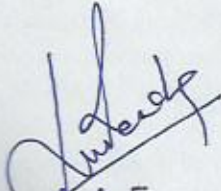
कुल आरक्षित भूमि - 1.365 है०।

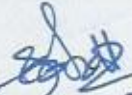
प्रारूप-34

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कान्प्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमिहै० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
 किल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-35

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

Task Force Certificate

- (i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
- (ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
- (iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
- (iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

- (i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
- (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale blasting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
- (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRR1. Several techniques have been sponsored by CRR1. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
- (iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
- (v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

A.A.E
 Const. Division

सहायक अभियन्ता
 निर्माण शाखा

Executive Engineer
 Constuction Division
 H.O.

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य।
कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-36

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

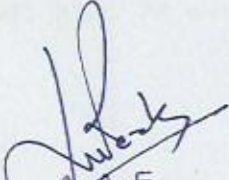
मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र मानक शर्तें

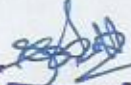
1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जान्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जान्तुओं के स्वच्छन्द विघटन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरक्षण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में

निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का सुदृढीकरण/बौंड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगुने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को लेंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


संयोजक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। छिल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

प्रारूप-37

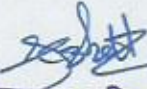
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

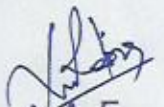
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

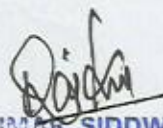

Executive Engineer
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Shamoli)

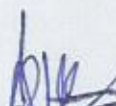

संख्यक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

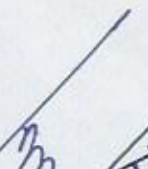

जिला अधिकारी
ह०
चमोली
जिलाधिकारी


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Shamoli)


प्रभागीय वनाधिकारी
बदनाय वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCE.....
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI


तहसीलदार
थराली


उपजिलाधिकारी
चमोली

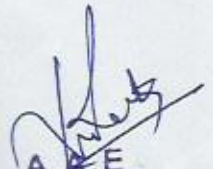
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किल प्रस्तावित प्रति- 1.365 है०।

प्रारूप-38

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


A. K. E.
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pey-Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

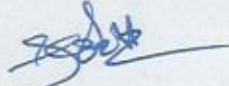
प्रारूप-39

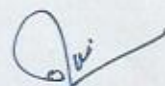
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किलोप्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

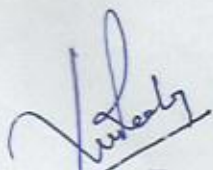
प्रारूप-40

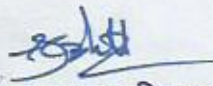
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

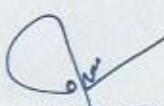
प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्नलिखित स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०सं०	ग्राम/वार्ड का नाम	परिवारों की सं०	जनसंख्या
1	मैंटा सिमलसैण	219	1096
2	देवराड़ा	219	1097
3	थराली अपर बाजार	248	1241
4	थराली गॉव	243	1215


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

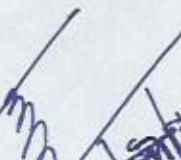

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रयाग गोपेस्वर
(चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCE.....
TEH.....
DISTRICT CHAMOLI


तहसीलदार
थराली


पंचायत अधिकारी
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

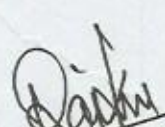
प्रारूप-41

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

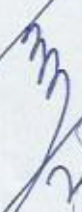
वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये..... प्रति है० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु..... है० वन भूमि का कुल प्रीमियम (मूल्य) रुपये..... होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेंट प्रीमियम (मूल्य) का..... प्रतिशत की दर से रुपये..... प्रतिवर्ष होता है।

ह०/-
जिलाधिकारी


RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE.....
THAN.....
DISTRICT: CHAMOLI


तहसीलदार
थराली


उपजिलाधिकारी
थराली

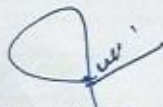
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि- 1.365 है०।

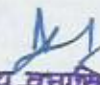
प्रारूप-42

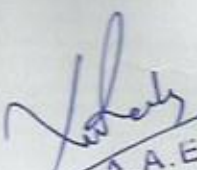
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन मय मानचित्र

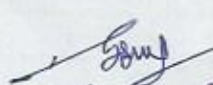
क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के साथ संलग्न किया जाना है। संलग्न है।
लगाया जाये।


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


प्रभागीय प्रस्ताधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन

- 1- परियोजना का नाम जिसके सापेक्ष प्रतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना है - थराली नगर पंचायत पेयजल योजना
- 2- परियोजना में प्रभावित कुल भूमि का क्षेत्रफल - 1.365 है०
- 3- प्रभावित भूमि के सापेक्ष कुल वृक्षारोपण - प्रभावित भूमि x 2 = 2.73 ha.
- 4- प्रस्तावित भूमि का विवरण -
- 6- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु व्यय अनुमान -

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	इकाई दर	मात्रा	व्यय	व्यय का वर्षवार योग
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम वर्ष का व्यय (अग्रिम मृदा कार्य) :-						
1	सर्वे एवं सीमांकन	है०	115.00	2.73	313.95	
2	स्थल सफाई कार्य	है०	3730.00	2.73	10182.90	
3	दीवालबन्दी कार्य/फेन्सिंग (81 घ०मी० @477/M3)	है०	38637.00	2.73	105479.01	
4	गड्ढे खुदान (0.30 x 0.30 x 0.45) रेखांकन व घूना सहित	प्रति गड्ढा	7.95	3003.00	23873.85	
5	कन्दूर नाली का सीमांकन	र०मी०	0.88	546.00	480.48	
6	कन्दूर नाली खोदना (0.50 मी० चौड़ी)	र०मी०	231/20 RM	0.00	0.00	
7	कन्दूर नाली खोदना (30 x 30 सेमी चौड़ी गहरी)	र०मी०	163/20RM	546.00	4449.90	
8	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम/गड्ढा	कि०ग्रा०	28.00	75.08	2102.10	
9	डी०ए०पी० खाद कन्दूर नाली हेतु (25 ग्राम प्र०र०मी०, 0.50 मी० चौड़ी)	कि०ग्रा०	28.00	0.00	0.00	
10	डी०ए०पी० खाद कन्दूर नाली हेतु (30 x 20 सेमी चौड़ी गहरी) 25 ग्राम, प्रति र०मी०	कि०ग्रा०	28.00	13.65	382.20	
11	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	6.20	3003	18618.60	
12	घास उगाने पर व्यय	प्रति सिलिप्स	1.00	2730.00	2730.00	
13	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य (10 है० को आधार मानते हुये) 1. वानस्पतिक चैकडैम/स्टोन चैकडैम 8 x 6725 = 53800.00 2. वाटर हारवेस्टिंग टैंक (3x2.50x1m) 5x7540=7700.00 Total = 91500.00	प्रति है०	9150.00	2.73	24979.50	
14	अन्य व्यय- निरीक्षण बटिया, हथियार	है०	915.00	2.73	2497.95	
	योग				196090.44	196090.00
द्वितीय वर्ष का व्यय (रोपण कार्य) :-						
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना, गाजर घास/कालाबांसा)	है०	1887.00	2.73	5151.51	
2	गड्ढा भरान कार्य डी०ए०पी० मिलाने सहित	प्रति संख्या	1.42	3003.00	4264.26	
3	पौध दुलान कार्य	प्रति संख्या	9.00	3003.00	27027.00	
4	पौध रोपण कार्य	प्रति संख्या	2.77	3003.00	8318.31	
5	घास का दुलान		160.00	2.73	436.80	
6	कन्दूर खाइयों में बीज बोना	प्रति सैकडा	234.00	2.73	638.82	
7	पौधों की प्रथम निराई-गुड़ाई मलचिंग	प्रति संख्या	1.89	3003.00	5675.67	
8	द्वितीय निराई गुड़ाई एवं मलचिंग कार्य	प्रति संख्या	1.63	3003.00	4894.89	
9	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्रति संख्या	1.80	3003.00	5405.40	
10	घास सिलिप्स का कन्दूर खाइयों में रोपण कार्य	प्रति संख्या	1000.00	2.73	2730.00	
11	वाचर (7माह अगस्त से फरवरी तक) 1 श्रमिक 229 x 30 = 6870.00/month	प्रति श्रमिक / माह	6870.00	7.00	48090.00	
12	कन्दूर नालियों में यूरिया खाद डालना	र०मी०	24/20 R.M.	546.00	655.20	
13	नर्सरी से घास खोदना/काटना 20 सेमी ऊंची	प्रति/100	0.11	2730.00	300.30	
14	अन्य व्यय-बोर्ड क्रय कर लगाना, कण्डी, रस्सी आदि	ल०स०		5600.00	5600.00	
	योग				119188.16	119188.00

क्र० सं०	कार्य विवरण	इकाई	इकाई दर	मात्रा	व्यय	व्यय का वर्षवार योग
1	2	3	4	5	6	7
तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीटिंग अप) प्रति है० (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	पौध की लागत	प्रति पौध	8.00	300	2400.00	
2	पौध डुलान कार्य	संख्या	9.00	300	2700.00	
3	पुनः गड़ढा खोदना एवं रोपण कार्य	संख्या	4.40	300	1320.00	
4	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत डुलान सहित	प्रतिशत	1.95	3003	5855.85	
5	शीतकाल में मलधिग्न कार्य	संख्या	1.63	3003	4894.89	
6	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				100839.24	100840.00
चतुर्थ वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				83668.50	83669.00
पंचम वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				83668.50	83669.00
छटवें वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				83668.50	83669.00
सातवें वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				83668.50	83669.00
आठवें वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	वनीकरण चौकीदार 12 माह $229 \times 30 = 6870/\text{month}$	श्रमिक/माह	6870.00	12.00	82440.00	
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				83668.50	83669.00
नवें वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				1228.50	1229.00
दसवें वर्ष (रु० 229/प्रतिदिन पारिश्रमिक के अनुसार) :-						
1	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	है०	450.00	2.73	1228.50	
	योग				1228.50	1229.00
सम्पूर्ण योग प्रथम से दसवें वर्ष तक -					836917.34	836921.00
या						836832.00

प्रति है० व्यय 836832/2.73 है० - 306531.86 या रु० 306532.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(बमोली)

वन क्षेत्र अधिकारी
मध्यम क्षेत्र परराज वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। उत्तराखण्ड अधिनियम 10365 है०

प्रारूप-43

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हितस्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

लागू नहीं है

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कान्प्रयाग (चमोली)

Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-44

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 1:50000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी०पी०एस० रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय।

नागरधी

[Signature]
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

[Signature]
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी

[Signature]
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nig-
Karanprayag (Chamoli)

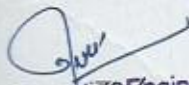
[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि - 1.365 है०।

प्रारूप-45

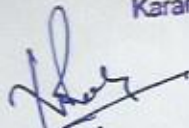
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का रंगीन गूगल मानचित्र, जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न किया जाय। मानचित्र में समस्त सूचनाओं जी०पी०एस० रीडिंग सहित दर्शाते हुए संकेत तालिका में भी दिया जाय। लागू है।

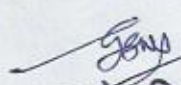

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी


A.A.E.
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सर्वाग्य अभिनय
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)

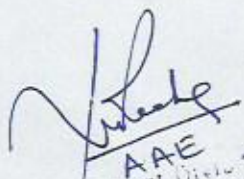

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बटीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

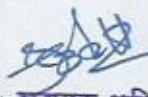
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

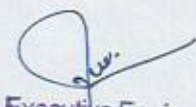
प्रारूप-46

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों/पथ वृक्षारोपण/100 वृक्षों/काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में दस गुना वृक्षों/बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न किया जाना है (जो भी लागू हो) लागू नहीं है।


AAE
Const. Div.
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

~~वन क्षेत्राधिकारी~~
~~मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली~~
~~बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर~~

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। किलोवाट्टावित भूमि 1.365 है०।

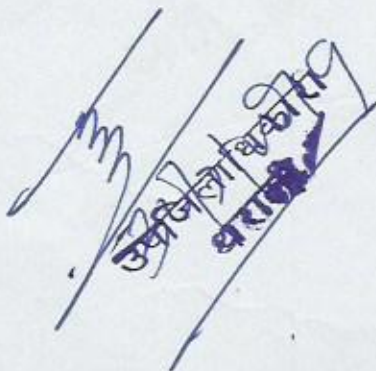
प्रारूप-47

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

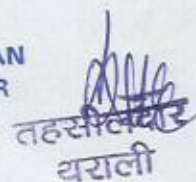
प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना है। आवश्यकता नहीं है

ह० भूमिधर

ह० राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित




RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CIRCLE.....Tharali.....
TEH.....
DISTRICT- CHAMOLI


तहसीलदार
थराली

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-48

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुए अनुबन्ध की प्रति संलग्न की जाय। ~~जाय नहीं।~~

ह० भूमिधर

ह० राजस्व विभाग नाम

पद एवं मुहर सहित




RAJ KUMAR SIDDWAN
REVENUE SUB INSPECTOR
CHAMOLI
DISTRICT- CHAMOLI


तहसीलदार
थराली

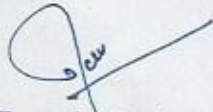


परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित क्षेत्र 1.365 है०।

प्रारूप-49

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।
~~परियोजना में उत्सर्जित होने वाले मलको निस्तारण पाइप लाइन की ड्रॉइंग भराने में किया जायेगा~~


 Executive Engineer
 Construction Division
 Uttarakhand Pay Jal Nigam
 Karanprayag (Chamoli)


 A.A.E.
 Const. Division
 Uttarakhand Payjal Nigam
 Karanprayag (Chamoli)


 सहायक अभियन्ता
 निर्माण शाखा
 उत्तराखण्ड पेयजल निगम
 कर्णप्रयाग (चमोली)


 प्रभारी वन अधिकारी
 बदौनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
 (चमोली)


 वन क्षेत्राधिकारी
 मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
 बदौनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। उल्लिखित भूमि 1.365 है०

प्रारूप-50

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी V
2. हरियाली का घनत्व 0.40
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे० 6,570/-
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.365 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि 8,96,805/-


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


ह०/-
प्रभागीय वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल आरक्षित भूमि 1.365 है०।

प्रारूप-51

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।


Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित 2 कि० 1.365 है०

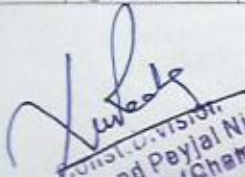
प्रारूप-52

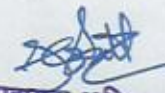
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र०सं०	कार्य का नाम	इकाई/संख्या	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर (रु० में)	धनराशि (रु० में)
			ल०	चौ०	ऊचाई				
1	आर०सी०सी० पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर०सी०सी० पिलर के बेस पर चुना व कोयला डालना								
3	1:2:4 सीमेंट मसाले में आर०सी०सी० पिलर निर्माण								
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया कट करना								
5	पिलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
7	पानी की ढुलाई आदि कुल योग								


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल प्रस्तावित क्षेत्र - 1.365 है०~~।

प्रारूप-53

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू) लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 20 वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

ह०/-
प्रमाणित करने वाला अधिकारी
बडीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

A.A.E
Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बडीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

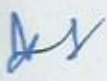
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। छिल प्रस्तावित २ कि० 1.36 है०।

प्रारूप-54

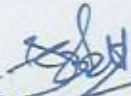
परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


ह०/
प्रमुखीय बन्नाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


A.A.L.
Const. Division
Uttarakhand Payal Niga,
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग
प्रमुखीय पेयजल निगम
कर्मप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Constuction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। कुल प्रस्तावित क्षे 1.365 है०।

प्रारूप-55

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के जलसमेत क्षेत्र के समेकित उपचार हेतु वन विभाग द्वारा तैयार की गई, कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (CAT PLAN) के क्रियान्वयन हेतु कैट प्लान में उल्लिखित धनराशि का भुगतान वन विभाग को उनकी माँग के अनुसार यथासमय किया जायेगा। - नागर-धीरें

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

वन क्षेत्राधिकारी
मध्य पिण्डर वन क्षेत्र, थराली
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

Const. Division
Uttarakhand Payjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

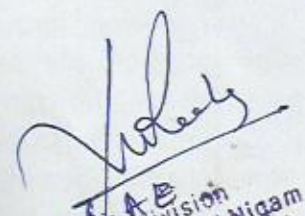
प्रभागीय वनाधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

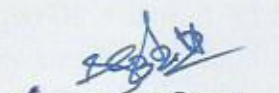
परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल प्रस्तावित 2 कि० 1.365 है०।~~

प्रारूप-56

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृती (यदि लागू हो) संलग्न की जाय।
कार्य-सूची


AAE
Const. Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)


सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)


Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। *(प्रस्तावित 2.36 है०)*

प्रारूप-57

परियोजना का नाम:- थराली नगर पंचायत पेयजल योजना

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र

पट्टा जिन्हें पहले वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और राज्य प्राविधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन लेने का फार्म।

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरा जाना है)

1. पत्र संख्या और तारीख जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी दी है। (प्रति संलग्न करें)
2. परियोजना के विवरण :-
 - (1) प्रस्ताव और परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये वन भूमि अपेक्षित है।
 - (2) 1:50,000 के स्केल मैप पर वन के आस-पास की सीमा को दर्शाने वाला मानचित्र।
 - (3) परियोजना की लागत।
3. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार ब्यौरा (जो पहले से ही ले ली है या लिए जाने वाली है)।
4. अनुदेशों के अन्तर्गत आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

तारीख:

स्थान:-

(हस्ताक्षर)
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Payal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

(हस्ताक्षर)
A.A.C
Const. Division
Uttarakhand Payal Nigam
Karanprayag (Chamoli)

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
कर्णप्रयाग (चमोली)

परियोजना का नाम:- चमोली जनपद के विकासखण्ड थराली के नगर पंचायत थराली के अन्तर्गत थराली नगर पंचायत पेयजल योजना हेतु आवश्यक कुल आरक्षित भूमि 0.825 है०, वन पंचायत भूमि 0.54 है० एवं सिविल सोयम भूमि है० क्षेत्र में 19.30 कि०मी० लम्बी थराली नगर पंचायत पेयजल योजना के निर्माण कार्य। ~~कुल क्षेत्रफल 1.365 है०~~।

भाग- II

कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

5- परियोजना/स्कीम का स्थान :- थराली

- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र:
- ii) जिला:
- iii) वन प्रभाग:
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
- v) वन की कानूनी स्थिति
- vi) वानस्पति का घनत्व
- vii) अखण्डित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणीवार:
- viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)

6- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

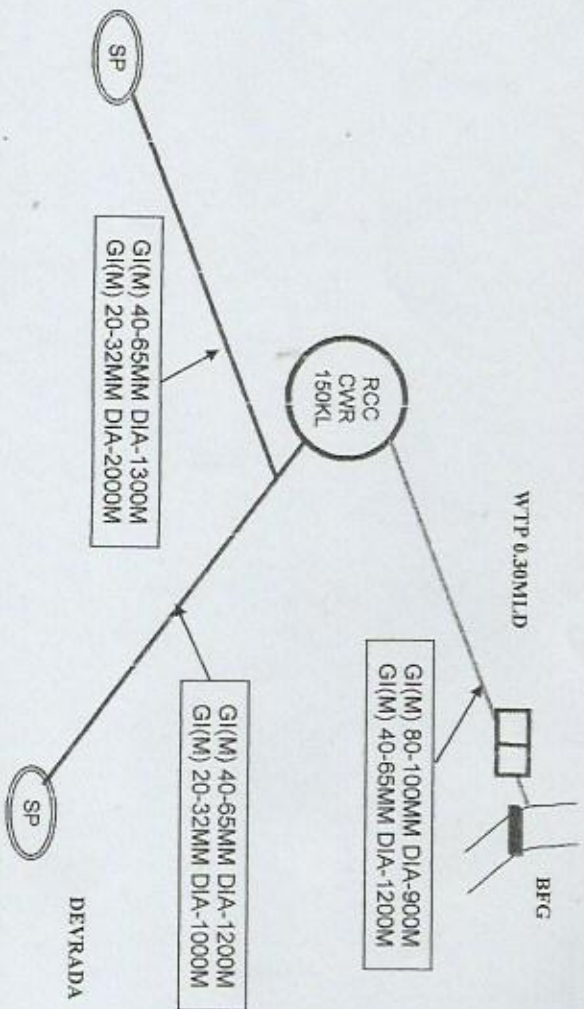
7- पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट। (संलग्न की जानी।)

8- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल।
- ii. जिले का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर

9- कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।

INDEX MAP THARALI WATER SUPPLY SCHEME **ZONE-1**



NAME OF SOURCE	Type of Source	Measured Yield (lpm)	DISCHARGE COULD BE ADOPTED
RACHUTALA	GADHERA	280.00	210.00

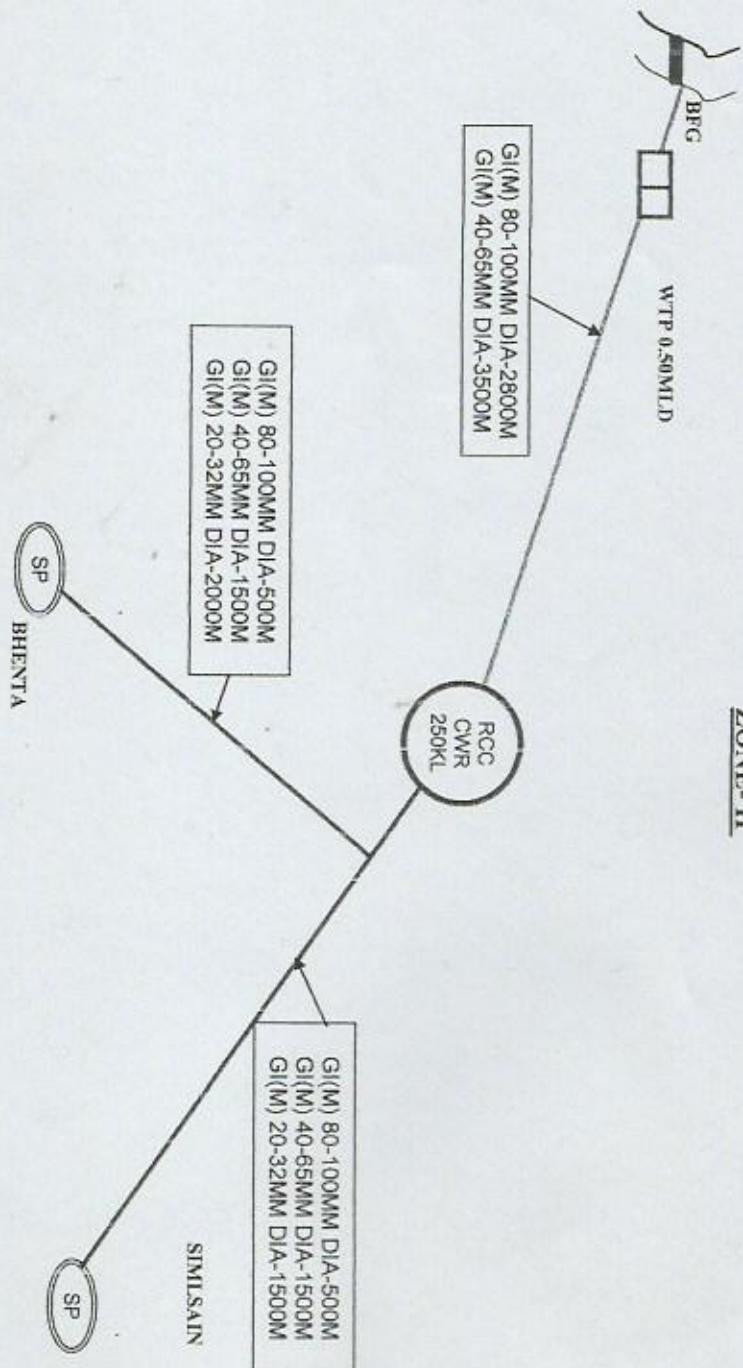
[Signature]
AE

[Signature]
AE

[Signature]
EE

Cont. Division Uttaraband Peyjal Nigam Karaiprayag

INDEX MAP THARALI WATER SUPPLY SCHEME **ZONE- II**



NAME OF SOURCE	Type of Source	Measured Yield (lpm)	DISCHARGE COULD BE ADOPTED
THALA GADHERA	GADHERA	570.00	428.00

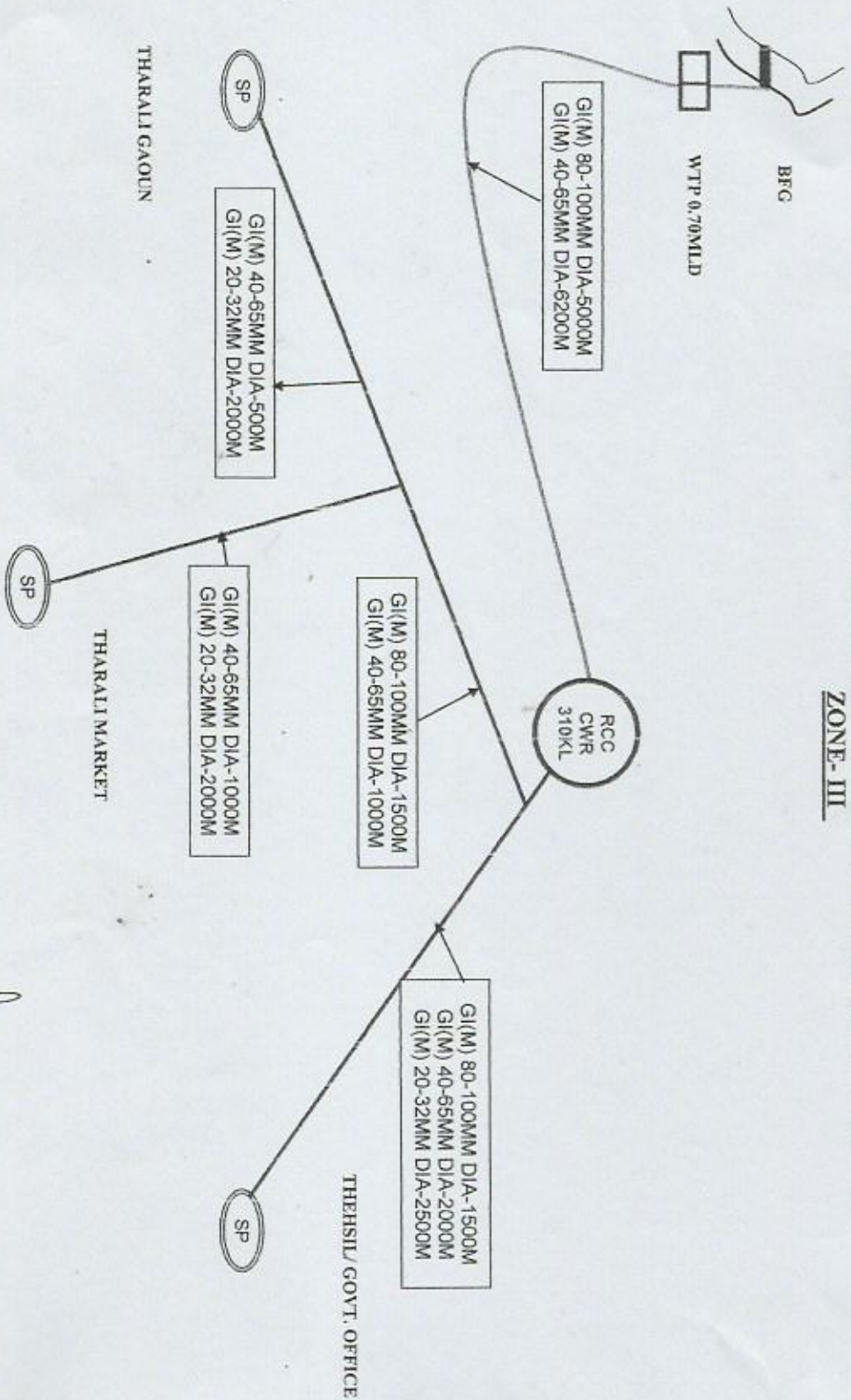
[Signature]
AAE

Cont. Division Uttarakhand Peyjal Nigam Karanprayag

[Signature]
AE

[Signature]
EE

INDEX MAP THARALI WATER SUPPLY SCHEME ZONE - III



NAME OF SOURCE	Type of Source	Measured Yield (lpm)	DISCHARGE COULD BE ADOPTED
GHAT GADHERA	GADHERA	450.00	338.00

 AE
 AE
 EE
 Cont. Division Uttarabhand Peyjal Nigam Karanprayag